## भारतीय मानक ब्यूरो उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला बी 69, फेज़ 7, इण्डस्ट्रीयल फोकल प्वाइंट मोहाली - 160055

## निविदा सूचना

भारतीय मानक ब्यूरो , उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़, दिबोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) के तहत सुरक्षा एजेंसी की सेवाएं लेने हेतु योग्य फर्मों से मुहर बंद बोलियाँ आमंत्रित करता है:

रिक्त निविदा दस्तावेज़ दिनांक 27.09.2016 से 19.10.2016 तक कार्यालय के समय के दौरान उपलब्ध है।

निविदा दस्तावेज़ <u>www.bis.org.in</u> या <u>www.eprocure.gov.in</u> से डाउनलोड किया जा सकता है |

बोलियों को जमा लेने की अंतिम तिथि और समय 19.10.2016 को 1400 बजे तक है। ब्यूरो कोई कारण बताये बिना किसी बोली या सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

उपनिदेशक (प्र 0 एवं वित्त) भारतीय मानक ब्यूरो प्लॉट नं0 4-ए, सेक्टर 27 –बी, चण्डीगढ़ – 160019 फोन नं0 0172- 2650229

### निविदा दस्तावेज़

## अनुसूची - 1 बोली दाताओं के लिए निर्देश

### 1. बोली आमंत्रण की सूचना

1.1 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निविदा दस्तावेज़ की अनुसूची 3 में दर्शाए गए निर्देशानुसार सुरक्षा सेवाएँ किराए पर लेने हेतु दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के तहत योग्य बोलीदाताओं से मुहरबंद बोली आमंति्रत करता है।

### 2. निविदा दस्तावेज़ जारी करना

2.1 अनुसूची 4 में दर्शाए गए रिक्त निविदा दस्तावेज़ कार्यालय अवधि के दौरान उपलब्ध होंगे |

- 2.2 खाली निविदा दस्तावेज़ ब्यूरो की वेबसाइट <u>www.bis.org.in</u> या <u>www.eprocure.gov.in</u> से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2.3 टेंडर जारी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज़ में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो बोली प्रस्तुत करने से पहले बोली में ही शामिल करने के लिए शुद्धि पत्र/परिशिष्ठ के रूप में सूचित किया जाएगा ।
- 2.4 कहीं भी बोली दस्तावेज़ में कोई परिवर्तन और परिवर्धन की अनुमित नहीं है। इनमें से किसी भी प्रकार का त्रुटि पाए जाने पर बोली को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है।
- 2.5 बोलीदाता अपनी बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने के साथ जुड़े सभी लागत वहन करेगा । ब्यूरो, किसी भी मामले में, चाहे संचालन हो या बोली लगाने की प्रिक्रिया के परिणाम हो, इन लागत के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा ।

## 3. बोली/अनुबंध की भाषा

3.1 बोली की भाषा अंग्रेजी/हिन्दी ह**ोगी और सभी पत्**राचार अंग्रेजी/हिन्दी आदि में किए जाएंगे

## 4.बोलियों से पूर्व कॉन्फ्रेंस

4.1 बोली से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं की कॉन्फ्रेंस अनुसूची 4 में दर्शाई गई निर्धारित दिनाक एवं समय पर आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरए लेने की अनुमित होगी।

#### 5. बोलियों की वैधता

5.1 बोलियाँ इसके खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए वैद्य होगी ।

### 6 धरोहर जमा राशि / बोली प्रतिभूति

- 6.1 बोलीदाता द्वारा व्याज मुक्त धरोहर राशि (ईएमडी) के अनुसार अनुसूची 4 में दर्शाई गई राशि ब्यूरों के पास जमा की जाएगी | दर्शाई गई राशि डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के रूप में भारतीय मानक ब्यूरों के पक्ष में या अनुसूची 7 के अनुलग्न 1 में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में जमा की जाएगी |
- 6.2 धरोहर जमा राशि जमा करने में चूक या त्रुटि बोली को अयोग्य करेगी तथा ब्यूरो ऐसी किसी प्रकार की अयोग्य बोली/बोलियों पर विचार नहीं करेगा ।
- 6.3 बोलीदाता बोली के वैध अवधि के दौरान ब्यूरो की सहमति के बिना अपनी बोली को वापिस नहीं लेगा और इसके नियमों या शर्तों में बदलाव नहीं करेगा | यदि बोलीदाता बोली को रद्द करता है या

शर्तों या निबंधनों में बदलाव करता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि को ब्यूरो उसके अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब्त कर लेगा।

6.4 यदि सफलतम बोलीदाता निर्धारित सीमा में निष्पादन – प्रतिभूति का भुगतान नहीं करता है या अनुबंध बॉन्ड को हस्ताक्षरित करने से चुकता है तो ब्यूरो द्वारा धरोहर जमा राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी |

6.5 असफल बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) सफल बोलीदाता ब्यूरो को अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बाद तथा संविदा को हस्ताक्षरित करने के बाद या बोलियों की वैधता अविध के समाप्ति के 30 दिनों के बाद इसमें से जो भी पहले हो, वापस लौटा दी जाएगी।

#### 7 योग्य बोलीदाता

- क) बोलीदाता के पास मोहाली में ठेका श्रम (विनियम एवं उल्लंघन) अधिनियम 1970 एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सुरक्षा सेवाएँ प्रदान प्रदान करने हेतु वैद्य लाइसेंस होना चाहिए | (सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जाए)
- ख) उनके पास बड़ी प्राइवेट फर्मों,भारत सरकार के विभागों / मंत्रालयों / पीएसयू / बड़े प्रसिद्द निजी संस्थाओं में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो | (पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों / पीएसयू से प्राप्त दो वर्षों के कार्य करने के आदेशों की प्रतिलिपियाँ संलग्न करें )
- ग) बोलीदाता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया वैध पैन कार्ड हो एवं वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन , कर्मचारी राज्य बीमा निगम , सर्विस टैक्स विभाग के साथ पंजीकृत हो |(सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न किया जाए)
- घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ऐसे ही सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 20 लाख की कुल बिक्री (टर्न ओवर) होना चाहिए।
- ङ) उसे भारत सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू के विभागों/ मंत्रालयों द्वारा काली सूची में न डाला गया हो। (निर्दिष्ट प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत की जाए)

## 8- दरें कैसे उद्दत की जाएगी

- 8.1 बोलीदाता से कार्य क्षेत्र/ अन्य शर्तों के मद्देनजर अपनी दरें निकालने तथा दरें उद्भृत करने की अपेक्षा की जाती है | बोली देने से पूर्व, बोलीदाता ने अपनी बोलियों के संबंध में उनका यथा संभव तथा प्रयाप्त संलग्न अनुसूचियों में उद्दृत दरों एवं मूल्य के बारे में संतुष्टि कर ली है, ऐसा समझा जाएगा | इन दरों एवं मूल्यों में संविदा के तहत इसकी सभी बाध्यता तथा उनकी देयता समुचित रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक चीजें, तथा अन्यथा उपबंधों को छोड़कर शामिल होगी |
- 8.2 अनुसूची 5 की सारणी क में दी गई वित्तीय बोली में किसी प्रकार के सेवा कर, शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा कर या कोई अन्य कर शामिल न हों । सरकार द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाल कर बोलीदाता द्वारा बोली में उद्दृत दरों के अतिरिक्त बोलीदाता से ही वसूल किए जाएंगे।
- 8.3 उद्भृत की गई समेकित मासिक राशि कीमतों में सभी प्रभार जैसे ई पी एफ, पी एफ, प्रतिस्थापन आदि के लिए दिए गए योगदान भी शामिल होंगे। इसमें प्रशिक्षण एवं वर्दी की लागत, कंपनी की देखरेख आदि का खर्च भी शामिल होगा। बोलीदाता द्वारा प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग

प्रति व्यक्ति समेकित मासिक राशि (न्यूनतम मजदूरी, ई एस आई सी, ई पी एफ आदि सहित)भी उद्भत की जाए।

- 8.4 बोलीदाता को अनुसूची 5 की सारणी ख में मासिक समेकित राशि का विवरण (कीमतों का ब्यौरा) उद्भुत करना चाहिए।
- 8.5 कीमतें संविदा की अवधि में वैद्य होंगी। फिर भी भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मज़दूरी में संशोधन किए जाने पर ब्यूरो भी उनमें संशोधन कर देगा। किन्तु न्यूनतम मजदूरी में संशोधन होने पर ठेकेदार का पूर्ण लाभ (प्रतिशत रूप से नहीं) संविधा अविध के दौरान उसके द्वारा बोली में उद्भृत किए गए अनुसार समान रहेगा।

#### 9 बोली जमा करने का ढंग:

- 9.1 पूर्ण बोली अनुसूची 4 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार बोली बॉक्स में अथवा डाक द्वारा तय निर्धारित समय से पूर्व तय स्थान तक पहुंचायी जाए |
- 9.2 ईमेल या फ़ैक्स वाले प्रस्ताव रद्द कर दिए जाएंगे |

#### 10 बोली जमा करवाने की अंतिम तिथि

10.1 मुहर बंद बोलियाँ निविदा सूचना में निर्दिष्ट समय और दिनांक तक या पूर्व ऊपर दिए गए पते पर प्राप्त की जाएगी | निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा अतः ऐसी बोलियाँ रद्द कर दी जाएगी तथा बोलीदाताओं को खोले बिना ही लौटा दी जाएगी | 10.2 बोली प्रस्ताव जमा करने की निर्दिष्ट तिथि पर छुट्टी घोषित किए जाने के मामले में अगले कार्यालयी दिवस को नियत समय तक प्राप्त किया जाएगा |

## 11. प्रस्ताव में संशोधन एवं वापसी

11.1 बोलीदाता प्रस्ताव जमा करवाने के पश्चात उसे वापस भी ले सकता है बशर्ते की प्रस्ताव जमा करवाने की निर्धारित तिथि और समय से पूर्व ब्यूरो को उसके द्वारा प्रस्ताव वापस लेने से संबंधी नोटिस प्राप्त हो जाए।

## 12. बोली दस्तावेज की अंतर्वस्तु

12.1 बोलियाँ दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली ) में आमंति्रत की जाती है | बोलियाँ अनुसूची 4 में उल्लेखानुसार मुहर बंद लिफाफे पर " भारतीय मानक ब्यूरो प्रयोगशाला, मोहाली के लिए सुरक्षा सेवाएँ किराए पर लेने हेतु" लिख कर जमा की जाएगी |

#### 12.2 लिफाफे में निम्नलिखित रखें:

- क) लिफाफा नं 1 (तकनीकी बोली) : इसमें निम्नलिखित वाणिज्यिक नियम और शर्तों के साथ-साथ सभी तकनीकी विवरण शामिल करने चाहिए ।
  - 1) संलग्न सभी दस्तवेजों की सूची

- 2) ऊपर खंड 6.1 के अनुसार वर्णित ईएमडी
- 3) चंडीगढ़ में ठेका श्रम(विनियम एवं उल्लंघन) अधिनियम 1970 एवं उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सुरक्षा सेवाएँ प्रदान प्रदान करने हेतु वैध लाइसेंस की सत्यापित प्रतियाँ
  - 4.) संबंधित अधिकारी को भरे गए अन्तिम आय कर रिटर्न एवं सेवा कर रिटर्न की प्रतियाँ
- 5) फर्म(फर्मों)के विवरण जिनमें पत्राचार के लिए नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल इत्यादि के साथ मिलिक/साथी/निदेशक के विवरण शामिल हों। (अनुसूची 7 के अनुबंध 2)
- 6) एक फर्म के मामले में, प्रत्येक पार्टनर या अटॉर्नी (मुख्तारनामा )धारक बोली पर हस्ताक्षर करेगा । बोली पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पावर ऑफ अटार्नी की सत्यापित प्रतियाँ बोली के साथ संलग्न की जाएगी । पावर ऑफ अटार्नी सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी । प्राइवेट लि०/पब्लिक लि० कंपनियों के मामले में पावर ऑफ अटार्नी के सहायक बोर्ड संकल्प एवं उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराये जाएंगे ।
- 7) सभी पृष्ठ और चिपकाई गई स्लिपों पर बोलीदाता द्वारा नम्बर लगाए जाएं और हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और कोई पृष्ठ बोली दस्तावेज़ के सेट से जोड़ा या हटाया नहीं जाएगा । विधिवत हस्ताक्षर किए गए बोली दस्तावेज़ अपनी स्वीकृति की निशानी के रुप मे वापस किए जाएंगे ।
- 8) बोलीदाता द्वारा पिछले तीन (3) वर्ष (अनुसूची 7 के अनुलग्न 3) में किए गए कार्य/सेवा को दर्शाने वाला विवरण
- 9) काली सूची और/या मुकदमों (अनुसूची 7 के अनुलग्न 4) के बारे में एक घोषणा।
- ख) लिफाफा सं 2 (वित्तीय बोली) इस लिफाफे मे अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित स्थानों पर किराए पर ली जाने वाली विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं की कीमतें हों। इसे बोलीदाता द्वारा पूर्ण रूप से भरकर इसके प्रत्येक पृष्ठ और बोली के निर्दिष्ट स्थानों पर हस्ताक्षर किए जाएं। खंड 8 के निर्देशों का ध्यान रखा जाए।
- ग) लिफाफा कवर: दोनों लिफाफे 1 एवं 2 को एक साथ एक कॉमन मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा तथा इस पर अनुसूची 4 के दर्शाए गए के अनुसार 'सुरक्षा सेवाएँ किराए पर लेने के लिए बोली ' लिखकर उपनिदेशक, प्र 0 एवं वित्त के पते पर भेजा जाए तथा बाई ओर नीचे बोलीदाता का नाम और पता लिखा जाए |
- 13. बोलीदाता द्वारा ध्यान में रखने योग्य अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :
- क) वित्तीय निविदा उपयुक्त स्थानों (अनुसूची 5) पर शब्दों और अंकों, दोनों में लिखा जाना चाहिए।
- ख) बोलीदाता वही बोली प्रस्तुत करेगा जो निविदा दस्तावेज़ में दी गई प्रत्येक शर्त को संतुष्ट करेगा । ऐसा न होने पर बोली को रद्ध कर दिया जाएगा । सशर्त बाकी बोलियों को रद्ध कर दिया जाएगा ।

#### 14. **ब**ोली को खोलना

14.1 निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि से पूर्व प्राप्त बोली को अनुसूची 4 (यदि संभव हो), में दर्शाए गए इस कार्यालय में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार बोलीदाताओं के सामने या प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में खोला जाएगा जो बोली खोलने के दिन निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे।

## 15 बोलीदाताओं का लघुसूचीयन अर्थात् छँटाई

15.1 तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ निर्धारित तिथि एवं समय खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां सफल हुई हों।

#### 16 वित्तीय बोलियाँ खोलना

16.1 ब्यूरो निर्दिष्ट तिथि को लिफाफा सं 2 खोलेगा तथा बोलीदाता द्वारा मूल्य तालिका (अनुसूची 5 की सारणी क तथा सारणी ख) में बोलीदाता द्वारा उद्धत दरों को पढ़ा जाएगा ।

#### 17 बोली की स्वीकार्यता

17.1 ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता की जाएगी। ब्यूरो न्यूनतम या किसी निश्चित बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो बिना किसी कारण बताए प्राप्त बोली या बोलियों में से किसी या सभी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोली की स्वीकार्यता ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में सफल बोलीदाता को स्वीकार्यता भिजवाई जाएगी।

## 18 प्रक्रिया को गोपनीय रखना

18.1 बोलियों के परीक्षण, मूल्यांकन और तुलना संबंधी सूचना तथा संविदा को प्रदान करने संबंधी सूचना बोलीदाताओं अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जोकि अधिकारिक रूप से ऐसी प्रिक्रिया से संबंध न रखता हो, तब तक नहीं बताई जाएगी जब तक कि सफल बोलीदाता को काम प्रदान करने के संबंध में घोषणा न कर दी गई हो।

## 19. संविदा दस्तावेज़ का निष्पादन

- 19.1 सफल बोलीदाता को कार्यकारिता प्रतिभूति को जमा करवाने के बाद उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न फार्म में डुप्लीकेट प्रतियों में करार करना अपेक्षित है। वर्तमान में उचित मूल्य रूपए 100/- है। करार बोली स्वीकार करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना चाहिए। संविदा (सी ओ सी) में यथा निर्दिष्ट करार, संविदा की शर्ते (सी ओ सी) एवं अन्य दस्तावेजों द्वारा शासित की जाएगी।
- 19.2 सफलतम बोलीदाता को निष्पादन की तिथि पर अनुबंध के लिए लागू स्टाम्प ड्यूटी, विधिक एवं वैधानिक प्रभार वहन करने होंगे।

## 20. ब्यूरो के अधिकार

- 20.1 ब्यूरो को इस बोली में दिए गए कार्यक्षेत्र को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने/घटाने का अधिकार है। सुरक्षासेवाओं को किराए पर लेकर दो या अधिक भागों में बांटने का अधिकार ब्यूरो के पास सुरक्षित है और एक से अधिक एजेंसियों को अनुबंध प्रदान करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
- 20.2 निविदा दस्तावेज़ के किसी खंड या संविदा की शर्तो की व्याख्या में किसी प्रकार की अस्पष्टता के मामले में ब्यूरो द्वारा खंडो की व्याख्या अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

## 21. संविदा का भाग बनाने संबंधी सूचना

21.1 निविदा सूचना एवं दिये गए निर्देश संविदा के भाग बनेंगे ।

अनुसूची- 2

संविदा की शर्तें :

1. परिभाषाएँ:

- 1. 'अनुलग्नक' से अभिप्राय इन शतों में संदर्भित निविदा दस्तावेज एवं संविदा के साथ संलग्न संबंध अनुलग्नक से है।
- 2. 'अनुमोदित' से अभिप्राय पिछले मौखिक अनुमोदन के बाद की पुष्टि सहित लिखित में अनुमोदन है तथा अनुमोदन से अभिप्राय है की यथा उपरोक्त सहित लिखित में अनुमोदन से है ।
- 3. 'बोली' से तात्पर्य कार्यालय में हाउसिकिपिंग सेवा हेतु ब्यूरो को प्रस्तावित संविदाकार ने मूल्य तथा संविदा, स्वीकार्यता पत्र द्वारा यथा स्वीकार्य संस्थापन एवं सेवाओं के प्रावधान सहित इसके अनुसार किसी प्रकार की किमयों के उपचार से है।
- 4. 'ब्यूरो 'से तात्पर्य है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित किए गए भारतीय मानक ब्यूरो से है ।
- 5. 'आरम्भ तिथि' से तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से ठेकेदार निर्दिष्ट स्थानों पर सेवाएँ उपलब्ध कराने का नोटिस प्राप्त करता है।
- 6. 'सक्षम अधिकारी' से तात्पर्य है इस संविदा के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी से है ।
- 7. 'संविदा' से तात्पर्य है, निविदा सूचना हेतु बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तों एवं निबंधन, स्वीकृति पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृत, आपकी शर्ते तथा बताए गए किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ से है ।
- 8. 'संविदा राशि' से तात्पर्य संविदाकार, द्वारा उसकी बोली में उद्धत की गई एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार्य राशि से है।
- 9. 'संविदाकार' से तात्पर्य किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, चाहे निगमित हो या नहीं, से है जो अनुबंध के लिए वचन देते हैं और इसमें ऐसे व्यक्तियों, फर्मीं अथवा गैर निगमित कम्पनियों के वैधानिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्मीं या कंपनी के उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे।
- 10. 'महानिदेशक' से तात्पर्य है, ब्यूरो का महानिदेशक, उस कार्यालय का समय समय पर पदधारक एवं उनका उत्तराधिकारी भी एवं उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल होंगे।
- 11. 'सरकार'से अभिप्राय है, केद्रीय सरकार ।
- 12. 'स्वीकार्यता पत्र' से अभिप्राय है, ब्यूरो द्वारा आधिकारिक स्वीकृति ।
- 13. 'सेवाओं' से अभिप्राय है, संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएँ तथा निविदा दस्तावेज़ में विहित की गई अन्य सेवाएँ शामिल होगी।
- 14. 'विशिष्ट' से अभिप्राय है, निविदा में संदर्भित विशिष्ट । जहां कोई विशेष विशिष्ट न दी गई हो तो ब्यूरो की सबद्द विशिष्ट लागू होगी ।

- 15. 'निविदा' से तात्पर्य है सुरक्षा सेवाओं को किराए पर लेने हेतु भावी बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण ।
- 16. 'पूर्णता समय' से अभिप्राय निविदा में बताए गए अनुसार कार्य आरंभ करने की तिथि से लेकर गणना की गई उस समय से है जिसमें अनुबंध अवधि समाप्त होगी ।

## 2. संविदा की पार्टियाँ

संविदा की पार्टियाँ हैं – वह ठेकेदार जिसके प्रस्ताव को ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया जाता है और ब्यूरो।

प्रस्ताव या फ़र्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति, संविदा से संबद्ध कभी मामलो में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या फ़र्म को बाध्य करने के लिए सम्यक प्राधिकारी समझा जाएगा । यदि यह पाया गया कि संबद्ध व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकारी नहीं है, ब्यूरो, अन्य किसी सिविल/आपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाए रख सकता है तथा / या फ़र्म ऐसे समापन हेतु सभी लागत एवं नुकसानों हेतु देय होती है।

## 3. निष्पादन प्रतिभूति

- 3.1 संविदा के देय निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, व्याज-मुक्त निष्पादन प्रतिभूति, अनुसूची-4 में यथा वर्णित राशि हेतु, संविदा में दिये गए सफलतम बोलीदाता से प्राप्त की जाएगी जोकि डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में 'भारतीय मानक ब्यूरो' में पक्ष में 'चंडीगढ़ मे देय हो या अनुसूची-7 के अनुलग्नक-1 में यथा वर्णित फामेंट के अनुसार बैक गारंटी दी जाएगी।
- 3.2 निष्पादन प्रतिभूति ठेकेदार द्वारा अनुबंध संबंधी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तिथि के बाद 60 दिनों की अविध के लिए वैद्य रहेगी।
- 3.3 इस संविदा या किसी प्रकार का अन्य लेखा की शर्तों के तहत संविदाकार के पास कोई राशि देय है/ वसूलनीय है तो उसे सिक्योरिटी जमा राशि को में से काट लिया जाएगा। यदि ऐसे किसी कटौती के कारण से कम दिया जाता है तो संविदाकार, ब्यूरों से 'मांग सूचना' की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर घाटे को पूरा करेगा। यदि सिक्योरिटी को संविदाकार द्वारा बैक गारंटी के तरीके से जमा किया जाता है, तो निर्धारित या अनिर्धारित हानिपूर्ति के लिए या संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन या चूक पर जुर्माना ब्यूरों को पहले से भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि उक्त गारंटी की शर्तों के तहत ब्यूरों को उक्त बैंकरों द्वारा मांग पर तुरंत भुगतान किया जाएगा।
- 3.4 यदि किसी संविदा की अवधि के दौरान, संविदाकार इस संविदा के तहत, देय एवं इसकी देयताओं के तहत सही कार्य निष्पादन सें चूकता है या जुर्माना के तरीके से अथवा कोई देय बकाया, जुर्माना एवं संविदाकार की ओर से देय अन्य कोई राशि की वसूली से चुकता है तो ब्यूरो इसके तहत

उसके अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर प्रभाव डाले बिना या लागू कानून पर, कार्य निष्पादन से उसे रोकने का हकदार रहेगा।

- 3.5 ब्यूरों को संविदाकार से यदि कार्य निष्पादन सिक्योरिटी की राशि से अधिक उक्त जैसे नुक़सानों, हानियों, लागत, प्रभार एवं खर्च की राशि होगी, तो उसे मुकदमें या इसी प्रकार के अन्य तरीके से वसूलने से रोका नहीं जाएगा।
- 3.6 जब तक दोनों पार्टियों के मध्य सभी विवादों, यदि कोई हो का निपटान ब्यूरो की सम्पूर्ण संतुष्टि तक नहीं होता तो कार्यकारिता प्रतिभूति को ब्यूरो द्वारा रोक लिया जाएगा | इस अनुबंध की समाप्ति तिथि के 60 दिनों के भीतर ब्यूरो द्वारा संविदाकार को कार्यकारिता प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी, बशर्ते की संविदाकार की तरफ ब्यूरो की कोई राशि बकाया न हो |

#### 4. संविदा दस्तावेज़

- 4.1 संविदा बनाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को एक-दूसरे पक्ष को यथा आपसी वर्णित लिया जाएगा, लेकिन इसी में संदेह या कमी के मामले में उसे ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्णित किया जाएगा एवं सुलझाया जाएगा । इस पर यह संविदाकार को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा ऐसे मामलों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो संविदा बनाने हेतु दस्तावेज़ की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी:
  - अनुबंध
  - बोली पूर्व बैठकों के कार्यवृत्त , स्पष्टीकरण
  - संविदा की शर्ते
  - निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज़
  - स्वीकार्यता पत्र
  - संविदा के संबंध में पक्षों के बीच किया गया पत्र पत्राचार
  - संविदाकार का प्रस्ताव

### 5. संविदा की वैद्यता

5.1 इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा होगी तथा संविदा अविध के दौरान संतुष्टिपरक निष्पादन एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति की शर्त पर वार्षिक आधार पर 2 वर्षों के लिए इसे बढ़ाया जाएगा।

## 6. संविदाकार की देयताएँ :

- 6.1 संविदाकार ब्यूरो के परिसर में अनुसूची 3 के अनुसार सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध करवाएगा, जिन्हें अनुबंध की अविध के दौरान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और यह अनुबंध का एक भाग होगा | संविदाकार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर करवाए गए कार्य के लिए बाध्य होगा |
- 6.2 संविदाकार सुरक्षा की सेवाएँ एक समान वर्दी वाले अनुभवी कार्मिक द्वारा प्रदान करेगा और संविदाकार के ये सभी कार्मिक संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए सभी सर्वाधिक दायित्वों (जैसे ईएसआई और ईपीएफ ) के भागी होंगे, इस संबंध में ब्यूरो का कोई दायित्व नहीं होगा |
- 6.3 संविदाकार काम पर लगाए कार्मिकों के लिए ईपीएफ और ईएसआई के रूप में जमा कारवाई गई राशि का विवरण समय-समय पर ब्यूरो को देना पड़ेगा |
- 6.4 संविदाकार द्वारा बीआईएस में सुरक्षा सेवा के लिए काम पर लगाए गए कार्मिकों की मजदूरी/वेतन सीधे उस व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कारवाई जाएगी | संविदाकार ब्यूरो को इस संबंध में सबूत भी देगा |
- 6.5 संविदाकार अपने कार्मिकों को समय-समय पर दिए गए सर्वाधिक लाभों जैसे बोनस, छुट्टी, छूट आदि का विवरण ब्यूरो को देगा |
- 6.6 अवांछनीय कार्मिक को सकारण हटाने का अधिकार ब्यूरो का होगा जबिक आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर किसी भी क्रिमिक को ब्यूरो के अनुमित के बिना हटाने का अधिकार संविदाकार को नहीं होगा |
- 6.7 संविदाकार अपने कार्मिकों को ड्यूटी निभाने के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना एवं मृत्यु के लिए कवर करेगा और इस संबंध में ब्यूरो का कोई दायित्व या बंधन नहीं होगा |
- 6.8 अनुसूची 3 के अनुरूप सेवाओं के प्रदर्शन को जाँचने हेतु संविदाकार द्वारा पर्याप्त निरीक्षण किया जाएगा।
- 6.9 संविदाकार अपने सभी कार्मिकों को पहचान पत्र / पहचान संबंधी दस्तावेज़ जारी करेगा जिन्हें संविदाकार द्वारा उसे दिखाने के संबंध में निर्देश दिए जाएंगे |
- 6.10 संविदाकार के कार्मिक ब्यूरों के कार्मिक नहीं बनेंगे और इस अनुबंध के अधीन की गई तैनाती/ ड्यूटी के लिए कोई वेतन या भत्ते, मुवावजा और नुकसान आदि के लिए मांग नहीं करेंगे | ठेकेदार इस अनुबंध के अधीन उनकी तैनाती से पूर्व उन्हें इस संबंध में लिखकर बताएगा |

## 6.11 बी आई एस में सुरक्षा सेवाओं के लिए काम पर लगाए गए स्टॉफ को दिए जाने वाले अन्य लाभ

क) संविदाकार अपने कार्मिको को सभी सांविधिक अथवा अन्य लाभ भी प्रदान करेगा एवं ब्यूरो की इस संबंध में कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी | संविदाकार श्रम क़ानूनों, श्रमशक्ति मुआवजा अधिनियम,

ईपीएफ कानून, ईएसआई सी कानून, आयकर एवं न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेकेदार श्रम (विनियम उन्मूलन अधिनियम) एवं अन्य लागू क़ानूनों का पालन करेगा |

ख) संविदाकार अपने कार्मिकों को अपने खर्च पर गर्मियों एवं सर्दियों के दो जोड़े वर्दी प्रदान करेगा।

#### 6.12 अन्य मामले

- क) संविदाकार ब्यूरो को मजदूरी शीट की एक प्रति जमा करवाएगा, जिसमें कार्मिकों को प्रदान की गई मासिक मजदूरी प्रदर्शित हो |
- ख) विद्यमान अपेक्षाओं के अनुरूप दोनों पक्षों के बीच सहमित के अनुसार सेवाओं के संतोषजनक निष्पादन के लिए पर्याप्त निरीक्षण किया जाएगा।
- ग) सभी आवश्यक रिपोर्टें तथा अन्य सूचना आवश्यकतानुसार तत्काल उपलब्ध करवाई जाएगी एवं ब्यूरो के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- घ) संविदाकार किसी भी ऐसे व्यक्ति को काम पर तैनात नहीं करेगा जिसकी आयु 18 से कम हो और 45 वर्ष से अधिक हो | इस कार्य के लिए लगाई गई श्रम शक्ति को अपेक्षित क्षेत्र में प्रशिक्षित एवं अनुभव प्रदान किया गया हो |

### 7. भुगतान शर्तें

- 7.1 ब्यूरो द्वारा सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भुगतान महीने की समाप्ति पर प्राप्त बिलों के आधार पर संविदाकार को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा | उद्दरण की गई दरों में सरकार द्वारा समय -समय पर लगाए गए किसी प्रकार का सेवा कर, शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर या किसी अन्य लागू कर शामिल नहीं होंगे और ये लागू दरों के अतिरिक्त वसूल किए जाएंगे।
- 7.2 ठेकेदार द्वारा एक माह की समाप्ति के तुरंत बाद इस अनुबंध के अधीन प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल डुप्लीकेट में प्रस्तुत किया जाएगा। बिलों का भुगतान तथा संविदा से उत्पन्न अन्य दावों के भुगतान प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार के बैक खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् प्रस्तुत प्रत्येक बिल में कुल राशि से लागू दरों पर उपकर/प्रभार सहित कर की कटौती की जाएगी।
- 7.3 किसी भी राशि को रखने या छोड़ने का अधिकार ब्यूरों के पास सुरक्षित है, जो किसी दावे के तहत संविदाकार के कारण समय-समय पर हो सकता है, जो ब्यूरों के पास इसके तहत या अन्य किसी संविदा/करार के तहत हो सकता है।
- 7.4 भुगतान उपरोक्त अपेक्षित परिवर्तनों सिहत निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी। संविदाकार भी अपने कार्मिकों को इस सूत्र के अनुसार भुगतान करेगा। इस सूत्र में सभी भुगतान किए जाने वाले साप्ताहिक अवकाशों

, राष्ट्रीय अवकाशों एवं अन्य राजपित्रत अवकाशों को ध्यान में रखता है -

सूत्र : एक व्यक्ति को दी जाने वाली मजदूरी =[ उपरोक्तानुसार कुल मासिक मजदूरी / एक माह में कार्यदिवस]× दिनों की संख्या जिस पर एक व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित माह में काम किया गया हो

### 8 जुर्माना/दंड लगाना

- 8.1 संविदाकार अपने द्वारा काम पर लगाई गई श्रमशक्ति को , यदि कोई हो, मज़दूरी प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक बाँट देगा। ऐसा न होने पर प्रतिदिन 1000/- रूपए अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया जुर्माना लगाया जाएगा जिसे संविदाकार को देना होगा।
- 8.2 जब कभी भी यह पाया जाता है कि दिए गए कार्य को, विशेषतया जो कार्य ठेकेदार के प्रमुख निरीक्षक के अधीन है, ब्यूरो द्वारा असंतोषजनक पाया जाता है, तो ब्यूरो द्वारा ठेकेदार को इस संबंध में बताया जाएगा और यदि इस संबंध में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रति शिकायत 1000/- रूपए प्रति दिन का दंड लगाया जाएगा|
- 8.3 यदि ठेकेदार निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार न्यूनतम सांविधिक अपेक्षाओं (ई एस आई सी/ ई पी एफ) को पूरा नहीं कर पाता और संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो इसे संविदा भंग समझा जाएगा और निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि को ज़ब्त करने के साथ साथ ठेकेदार को ग्राहक द्वारा काली सूची में डाला जा सकता है।
- 8.4 संविदा की किसी भी शर्त को तोड़ने और सभी प्रकार की हानियों के लिए, जिसमें संविदाकार द्वारा आवश्यकतानुरूप श्रमशक्ति उपलब्ध न करवाए जाने के कारण श्रमशक्ति किराए पर लेने के कारण अतिरिक्त लागत भी शामिल है, ब्यूरो बिलों में से अथवा निष्पादन प्रतिभूति में से किराए की दर से दुगुनी कटौती करेगा अथवा ब्यूरो उसे 7 दिनों के भीतर ब्यूरो के खाते में जमा करवाने के लिए कहेगा।

## 9. क्षतिपूर्ति

- 9.1 संविदाकार किसी व्यक्ति या किसी प्रापर्टी, जो भी हो के चोटिल होने या नुकसान होने पर ब्यूरों के सभी नुकसानों एवं दावों, जो संविदा से उपजे या परिणामस्वरुप हो तथा सभी दावों, मांगों, प्रिक्रियागत, नुकसान, लागत, प्रभार एवं खर्च, इस संबंध में जो भी हो या समय-समय पर यथा संशोधित विभिन्न श्रिमक कानूनों के उपबंधों के तहत इससे संबद्घ की क्षतिपूर्ति करेगा तथा क्षतिपूर्ति करायेगा।
- 9.2 संविदाकार ब्यूरो के विरुद्ध सभी दावों, नुक़सानों, लागत नुकसानों, खर्चों, वाद कार्रवाई एवं अन्य प्रिक्रिया, किसी पेटेंट के उल्लंघन के परिणामत: ट्रेडमार्क, कापीराईट इत्यादि ऐसे ही अन्य वैधानिक उल्लंघनों के क्षतिपूर्ति, सुरक्षा एवं बचाव करेगा।

#### 10. संविदा का समापन/आस्थगन

- 10.1 ब्यूरों को बदलाव पर या इसके कारण प्रतिपूर्ति पर इस संविदा को अस्थायी तौर पर किसी भी समय आस्थिगत करने की स्वतंत्रता होगी। संविदाकार की अपर्याप्त सेवा या दुर्व्यवहार हेतु इस संविदा की किन्हीं शर्तों एवं निबंधनों को भंग करने के लिए संविदाकार को लिखित में 24 घंटे का नोटिस देते हुए जो भी ब्यूरों का निर्णय हो, संविदाकार के लिए अन्तिम होगा तथा संविदाकार को कोई भी हकदार नहीं होगा।
- 10.2 संविदाकार की ओर से चूक होने की स्थिति में, जिसे परिणामत: संविदा के तहत वह अपनी सेवाओं देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो तो, इसे एवं गंभीर चूक माना जाएगा तथा यह निम्नलिखित कारणों में से किसी के होने पर माना जाएगा:
  - क) ब्यूरो की राय में संविदाकार संविदा के विरूद्ध हो गया हो,
  - ख) इस संविदा के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति शुरू करने में बिना किसी समुचित कारण के चूकने पर या पूर्णता हेतु तथा समय के भीतर सेवाएँ उपलब्ध कराने में असफल रहने पर।
  - ग) लिखित में ब्यूरो की ओर से पिछली चेतावनियों के बावजूद, संविदा के तहत इसकी जिम्मेवारियों के अनुपालन में अन्यथा घोर लापरवाही रहने पर।
  - घ) निरीक्षण के दौरान सेवाओं की गुणता में गंभीर कमियाँ ध्यान में आई हो।
  - ङ) यदि संविदाकार सेवाओं की आपूर्ति के लिए बनाये गये किसी कानून को भंग करता हो।
  - च) ब्यूरो के न्याय में संविदाकार संविदा के तहत सेवाओं को पूर्ण करने या निपटाने में भ्रष्ट या गलत रीतियों में लिप्त हो।
  - छ) संविदाकार स्वेच्छा या अनिच्छा से दिवालिया या परिसमापित हो जाता है।
  - ज) संविदाकार दिवालिया हो जाता है।
  - झ) इसकी परिसम्पतियों के किसी बड़े भूभाग पर कोई रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या परिसामापक नियुक्त कर दिया जाता है।
  - ञ) संविदाकार या इसकी सम्पित्तयों के संबंध में कोई कार्यवाही या घटना होती है, जिससे किसी लागू कानून के तहत/चालू कि्रया या घटनाओं पर किसी प्रकार का बड़ा प्रभाव पड़ता है।
  - ट) ब्यूरो की पूर्व अनुमित के बिना संविदाकार (संघ के मामले में) संघ के गठन तथा या संघ के किसी सदस्य की जिम्मेवारी में संशोधन करता है ।

### 11. ब्यूरो द्वारा समापन

11.1 बिना कारण बताये तथा हानि या नुकसान की देयता के बिना अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय करार को समाप्त करना ब्यूरों के लिए भी वैधानिक होगा, जिससे संविदाकार को ऐसे समापन के कारण परेशानी हो सकती है । ऐसे समापन के लिए ब्यूरों द्वारा लिखित में संविदाकार को 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा । संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरों के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर होगा ।

### 12. समापन हेतु संविदाकार का अधिकार

12.1 यदि संविदाकार संविदा अवधि की समाप्ति से पूर्व संविदा समाप्त करने का निर्णय लेता है तो संविदाकार को न्यूनतम 60 दिनों की अगिरम रूप में सूचना देनी पड़ेगी । यदि संविदाकार 60 दिनों की पूर्व सूचना के बिना करार समाप्त करता है तो सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जायेगी ।

### 13. मुख्य खंड लागू करना

13.1 इस संविदा की बारंबारता के दौरान किसी भी समय पर यदि इस संविदा के तहत किसी भी दायित्व के पूर्णरूपेण या अंशत निष्पादन को किसी लडाई, युद्धस्थिति, सार्वजनिक शत्रुता संबधी कार्यां, महामारियों, सार्वजनिक हुल्लडबाजी , तोड-फोड, आगजनी, बाढ, विस्फोट, संगरोधन, प्रतिबंधन, हड़ताल, तालाबंदी या प्राकृतिक आपदा (इसमें आगे ऐसे कार्य कहा गया है) के कारणों से रोका जाएगा या देरी की जाएगी बशर्ते ऐसी घटनाओं के नोटिस घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देता है । कोई भी पक्ष ऐसी स्थिति में न तो इस संविदा को समाप्त करेगा और न ही गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य नुकसानों की भरपाई का दावा करेगा और जब तक ऐसी घटनाएँ समाप्त न हो जाए या बंद न हो, इसके बाद व्यावहारिक से संविदा शुरू नहीं की जाएगी तथा जब ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी पुन: संविदा को शुरू करने या न करने का निर्णय नहीं करते, इस मामले में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं निर्णायक होगा । इसके अतिरिक्त ठेके के अन्तर्गत पूर्ण या आंशिक रूप से काम 60 दिनों के लिए रोक दिया जाता है या काम में देरी की जाती है तो पार्टी को अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा। ऐसी समाप्ति के अवसर पर ठेकेदार के पास जो भी अप्रयुक्त , बिना खराब हुआ या स्टोर किए गए अथवा ऐसे अंश को जिन्हें ब्यूरो ठीक समझे, ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कीमत पर ठेकेदार से ले लेने की छूट होगी। ऐसी सामग्री इसमें शामिल नहीं होगी जिन्हें ठेकेदार ब्यूरो की सहमित से अपने पास रखना चाहे।

## 14. भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ

- 14.1 ब्यूरों को अपेक्षा है कि इस बोली के तहत बोलीदाता ऐसे संविदाओं की प्राप्ति एवं निष्पादन के दौरान नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानक प्राप्त करेगा तदुपरान्त, ब्यूरो निम्नानुसार शर्तें सेट करना परिभाषित करता है:
- क) भ्रष्ट रीति से अभिप्राय है भाड़े की प्रिक्रिया में या संविदा निष्पादन में सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु का देना, प्राप्त या प्रलोभन देना, एवं
- ख) कपटपूर्ण रीतियों से अभिप्राय है कि ब्यूरो को हानि पहुँचाने के लिए भाडे की प्रिक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा कृति्रम तौर पर अप्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुतकरण से पूर्ण या बाद में) के बीच कपटपूर्ण रीतियाँ शामिल हैं तथा ब्यूरो को मुफ्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना शामिल है ।
- 14.2 यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है कि संविदा हेतु जिस बोलीदाता के नाम की सिफारिश की गई, वह संविदा हेतु प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ऐसे संविदा के प्रस्ताव को

रद्द कर दिया जाएगा । यदि ब्यूरो को यह ज्ञात होता है कि फर्म संविदा की प्रतिस्पर्धा के भ्रष्ट एवं कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो उस फर्म को अनिश्चितकाल या एक तय समय सीमा हेतु अयोग्य समझा जाएगा ।

#### 15. गोपनीयता

15.1 संविदाकार संविदा के तहत सेवाएँ देते समय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त मालिकाना जानकारी प्रकट नहीं करेगा जब तक कि ब्यूरो से लिखित में सहमित न ली जाये ।

#### 16. प्रचार-प्रसार

16.1 जिस किसी भी प्रचार सामग्री में ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो संविदाकार को ऐसा केवल ब्यूरो से लिखित अनुमति लेने पर ही करना चाहिए ।

#### 17. विवाद और विवाचक

- 17.1 ब्यूरो और संविदाकार से जुड़े किसी असहमित या उपजे विवाद को दोनों पक्ष सीधे अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे ।
- 17.2 यदि किसी भी प्रकार का विवाद हल नहीं किया जा सके तो उस मामले को अनुसूची 4 के तहत प्राधिकृत अधिकारी, भा मा ब्यूरो द्वारा नियुक्त विवाचक के पास भेजा जायेगा । भारतीय विवाचक एवं समझौता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे ।

#### 18. नोटिस भेजने का तरीका

- 18.1 संविदा में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित में होने पर ही प्रभावी होगा । नोटिस (भारतीय संविदा अधिनियम के तहत) के केवल डिलवरी होने पर ही प्रभावी होगा ।
- 18.2 संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी नोटिस जारी किए जाएँगे। यदि संविदाकार के अंतिम ज्ञात स्थान या निवास या व्यवसाय वाले पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि नोटिस सामान्य डाक से भेजा जाने पर इसे समय पर या डिलवरी हुए के समान माना जाएगा।

#### 19. शासन की भाषा

19.1 सम्पूर्ण संविदा एवं इसके पत्राचार हेतु शासित भाषा अंग्रेजी या हिन्दी होगी ।

### 20. कानून

20.1 संविदा भारतीय कानून के तहत, शासित एवं परिभाषित होगी ।

## 21. कानूनी क्षेत्र

21.1 संविदाकार द्वारा केवल चंडीगढ़ की स्थानीय सीमा के भीतर पड़ने वाले सक्षम न्यायालय को छोड़कर, किसी भी न्यायालय में संविदा निष्पादन या भंग से संबद्ध मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

## 22. स्टाम्प ड्यूटी

22.1 संविदा से संबद्घ किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभारों का भुगतान संविदाकार वहन करेगा।

## अनुसूची 3: अपेक्षाओं की अनुसूची

- 1. इस अनुबंध के आधार पर किराए पर लेने वाली सेवाएँ भारतीय मानक ब्यूरो उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, बी 69, फेज़ 7, इण्डस्ट्रीयल फोकल प्वाइंट - 160055 पर सुरक्षा सेवाएँ
- 2. श्रमशक्ति की अपेक्षाएँ

	शरेणी	योग्यता	श्रमशक्ति की
- 1			1

		संभावित अपेक्षाएं
अकुशल श्रमशक्ति	आठवीं स्तर तक की परीक्षा उत्तीर्ण	
1.सुरक्षा गाँर्ड	और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना	
	चाहिए। भूतपूर्व सैनिक को	05
	प्राथमिकता दी जाएगी।	
स्नातक	स्तानक हो और और शारीरिक रूप से	
1.सुरक्षा पर्यवेक्षक	स्वस्थ होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक को	
	प्राथमिकता दी जाएगी।	01

2.1 अनुबंध की अवधि के दौरान उपरोक्त श्रमशक्ति की अपेक्षाएँ अधिक अथवा कम हो सकती हैं।

## 2.2 सुरक्षा सेवाएं

1. भारतीय मानक ब्यूरो, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, मोहाली में दिन-रात सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकता है। सुरक्षा सेवाएं पूरे वर्ष में पूरा दिन तीन शिफ्टों में इस प्रकार होंगी –

क पहली शिफ्ट 0600 बजे से 1400 बजे

ख दूसरी शिफ्ट 1400 बजे से 2200 बजे

ग तीसरी शिफ्ट 2200 बजे से 0600 बजे

2 इस अनुबंध के अधीन सुरक्षा पर्यवेक्षक (न्यूनतम स्नातक) सुरक्षा पद्धति का प्रभारी एवं सेवाओं को प्रभावकारी ढ़ंग से करने के लिए जिम्मेदार होगा। किन्तु इससे ब्यूरो के अनुबंध के अधीन ठेकेदार की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी।

- 3. ठेकेदार को ब्यूरो के कर्मचारी एवं सामान की सुरक्षा के लिए 8 घंटे प्रत्येक की तीन शिफ्टों में अकुशल सुरक्षा गॉर्ड काम पर लगाने होंगे। गॉर्ड इस अनुबंध में बताए गए कार्य को पूरा करेंगे।
- 4. ब्यूरो को सेवाएँ प्रदान करते हुए पर्यवेक्षक एवं अन्य कार्मिक जिम्मेदार एवं जवाबदेह होंगे।
- 5. संविदाकार द्वारा ब्यूरो को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान एवं उपकरण ब्यूरो द्वारा समय समय पर ठेकेदार के साथ बातचीत द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- 6. सुरक्षा पर्यवेक्षक भवन/परिसर का चक्कर लगाते रहेंगे एवं काम पर लगाए गए कार्मिकों के काम का निरीक्षण करेंगे।
- 7. पैटरोलिंग नियमित आधार पर की जानी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी सफाई बनी रहे।
- 8. यदि कुछ असामान्य/ अनुपयुक्त पाया जाए तो उसकी सूचना तुरन्त ब्यूरो को दे दी जाए।

- 9. सुरक्षा गॉर्ड/ पर्यवेक्षक बी आई एस कार्यालय परिसर के अन्दर और बाहर पार्किंग बनाए।
- 10. संविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए सुरक्षा गॉर्ड/ पर्यवेक्षकों को अग्निशामकों के प्रचालन और आग दुर्घटना हो जाने पर उचित प्रबंध करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

## अनुसूची -4 विशिष्टि एवं संबद्ध तकनीकी विवरण

- 1. संविदा की परस्तावित वैधता : एक वर्ष, जिसे फर्म के सेवा-संतुष्टि एवं दोनों पक्षों के आपसी सहमति के शर्ताधीन. एक समय पर एक वर्ष के आधार पर दो वर्षों तक बढाया जा सकता है।
- 2. निविदा दस्तावेज की उपलब्धता

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0 4 – ए, सेक्टर 27 – बी, मध्यमार्ग, चण्डीगढ - 160019 एवं

भा मा ब्यूरो वेबसाईट: www.bis.org.in एवं www.eprocure.gov.in

अवधि: 27.09.2016 से 19.10.2016

- **3 पूर्व-बोली कान्फरेंस**: उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, प्लॉट नं0  $4 - \sqrt{\frac{1}{2}}$  सेक्टर  $27 - \frac{1}{2}$  बी, मध्यमार्ग, चण्डीगढ - 160019 के कार्यालय में 07.10.2016 को 1500 बजे ।
- 4 बोलियों के जमा करवाने की पद्धति/ तरीका 'तकनीकी बोली' एवं 'वित्तीय बोली' लिखे दो लिफाफों वाले "भा मा ब्यूरो, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली में किराए पर सुरक्षा सेवा के लिए निविदा"" लिखकर लिफाफा जिस पर पक्ष का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए तथा उपनिदेशक (प्रशासन व वित्त), भारतीय मानक ब्यूरो, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 4 ए, सेक्टर 27- बी, चंडीगढ़ - 160019 के कार्यालय में दिनांक 19.10.2016 तक दोपहर 1400 बजे तक भिजवाएँ।

5 धरोहर राशि : रु० 35,000/- (रु० पैंतीस हजार केवल)

 5
 धरोहर राशि
 : रु० 35,000/- (रु० पैंतीस हजार केवल

 6
 निष्पादन प्रतिभूति जमा
 : 70,000/ 

 7
 बोलियों की वैधता
 : तकनीकी बोली खोलने से 90 दिनों तक

- 8 बोलियाँ खोलना तकनीकी बोलियां 19.10.2016 को भारतीय मानक ब्यूरो के सम्मेलन कक्ष में 1430 बजे खोली जाएंगी।
- 9 इस निविदा/संविदा हेतु ब्यूरो की ओर से प्राधिकृत अधिकारी : उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त)/ ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी

## अनुसूची -5 वित्तीय बोली (वित्तीय बोली लिफाफा में प्रस्तुत की जाए ) सारणी क

उपनिदेशक (प्रशासन एवं वित्त) भारतीय मानक ब्यूरो, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, 4 -ए, सेक्टर 27-बी ,मध्यमार्ग चंडीगढ़ के कार्यालय महोदय,

"भारतीय मानक ब्यूरो, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली, में सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए" दिनांक \_\_\_\_\_\_ आपकी निविदा पूछताछ के संदर्भ में, मैं/हम निम्नानुसार दरों को उद्भृत करते हैं

क्रमांक	श्रेणी	मात्रा	एक व्यक्ति के लिए उद्धत राशि(सारणी 2 के अनुसार)	कुल (एक माह के लिए दर)
1	सुरक्षा गॉर्डों की सेवाएँ प्रदान करने के लिए (अकुशल श्रेणी)	5		रुपया केवल रुपया

2	सुरक्षा पर्यवेक्षक की सेवाएँ प्रदान करने	01	रुपया केवल
	के लिए (न्यूनतम स्नातक )		रुपया

मैंने/हमने दस्तावेज़ पढ़ लिया है तथा अनुसूची-2 में दर्शाए अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो को सुरक्षा सेवा उपलब्ध करवाने की सेवाओं हेतु सभी शर्तों एवं निबंधनों को समझ लिया हैं |

हस्ताक्षर
नाम
पता

# अनुसूची -5(जारी) (वित्तीय बोली लिफाफा में प्रस्तुत की जाए ) सारणी ख

	सारणा ख	
मद – क	\$	ग्रेणी
14 — 4 <i>i</i>	सुरक्षा गॉर्डों	सुरक्षा पर्यवेक्षक
वी डी ए (सरकार/ राज्य/ यू टी के		
अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्रतिमानक		
के अनुसार ) सहित आधारभूत न्यूनतम मजदूरी		
ई एस आई		
ई पी एफ		
अन्य, यदि कोई हो		
मद ख		
1		
2		
3		
4		
5 एजेंसी का प्रति व्यक्ति प्रति		
माह लाभ/ सेवा प्रभार (ख)		
(बंधी राशि के रूप में, प्रतिशत		
रूप में नहीं)		
प्रति व्यक्ति कुल लागत		
माह (क) + (ख) *		

**कॉलम** " प्रति

	* इस कॉलम में करों व व्यक्ति प्राप्त साह स्टब्स	हो छोड़कर कुल लागत अ । राशि " में लिखी जाएगी	नुसूची 5 की सारणी क	के व
तिथि		ા સારા નાલવા બાર્યા	हस्ताक्षर	

नाम
पता

## अनुसूची – 6 संविदा प्रपत्र

## करार

यह करार	के दिन	_ (माह) 2016 को किया गया है, यह
मैसर्स		
प्रसंगतगत या इसके अर्थ वि उसके उतराधिकारी एवं सुपुर्द कार्यालय, चंडीगढ़ -16001	वेरुद्ध न हो, इसमें जिसकी अ कार शामिल होंगे, एक पक्ष तश् 19 (जिसे आगे इसमें ब्यूरो	संविदाकार कहा गया है) जब तक भिव्यक्ति का अर्थ समझा जाएगा तथा या भारतीय मानक ब्यूरो, उत्तर क्षेत्रीय कहा गया है,जिसकी अभिव्यक्ति का सके अभिप्राय विरुद्ध न हों, इसमें
•	गम (पर्र) प्रसार पक्ष के बीच गमिल होंगे), दूसरे पक्ष के बीच	` .
ब्यूरो दर संवि	वेदा आधार पर सुरक्षा  सेवाप	य है, जो संसद द्वारा अधिनिगमित है   एं लेने का इच्छुक है   अतः खुले या के माध्यम से बोलियाँ आमंति्रत
देखें त चुना गया तथा संविदा मूल्यों	था बोली की प्रक्रिया के अ	स्तुति की, बोली दस्तावेज़ के अनुसार नुपालन से 'यथा सफलतम बोलीदाता' को संविदाकार को दिया गया
निविदा दस्तावेज़ की अनुसूर्च हेतु दोनों पक्ष इस पर सहमत ह्	,	र्गाएँ गए शर्तौं एवं निबंधनों के अनुपालन
	——— नेधि (ब्यूरो के प्र	राधिकृत अधिकारी के
के हस्ताक्षर		हस्ताक्षर
नाम	. नाम	
पदनाम	पदनाम	
पता	. पता	

पता	पता
साक्षी का नाम	साक्षी का नाम
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
साक्षी:	साक्षी:
फ़म/कपना का मुहर	ब्यूरा का मुहर

## अनुसूची- 7 बोलीदाताओं द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य मानक प्रपत्र] यदि कोई है तो

1.	अनुलग्नक -1	बैंक प्रतिभूति ब्रांड के प्रपत्र ( यथा लागू कार्य निष्पादन सिक्योरिटी के रूप में सफलतम बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
2.	अनुलग्नक -2	बोलीदाताओं द्वारा भेजे जाने वाले विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
3.	अनुलग्नक -3	पिछले 3 वर्षों में बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सदृश सेवाओं के प्रकारों के विवरण (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)
4.	अनुलग्नक -4	काली सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणाएँ (तकनीकी बोली वाले लिफाफों में बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाएँ)

अनसूची 7 का अनुलग्नक – 1

बैंक गारन्टी का प्रपत्र

कृपया पृष्ठ संख्या ----- एवं ..... का अवलोकन करें |

## अनुसूची 7 का अनुलग्नक – 2

## बोलीदाताओं द्वारा भेजे गए विवरण

- 1. फर्म / कम्पनी का नाम -
- 2. वैधता तिथि सहित पंजीकरण की श्रेणी-
- 3. पंजीकरण सं0-
- पत्राचार का पता:
   दूरभाष संख्या :
- 6. ईमेल:
- 7. स्वामी/भागीदार/निदेशक के विवरण:

नाम	पता	अर्हता एवं अनुभव
		_

8. सदृश प्रकृति के कार्य/जॉब हेतु पिछले तीन वर्षों के वित्तीय वर्षों में फर्म/कम्पनी का वार्षिक कारोबार (लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जाये)

वित्त्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रू०)	सालाना लेखा परीक्षित तुलनपत्र की प्रतियाँ (हाँ/नहीं)
पिछला वित्तीय वर्ष (Y-1)		
2013-14		
दूसरा वित्तीय वर्ष (Y-2)		
2014-15		
तीसरा वित्त्तीय वर्ष (Y-2)		
2015-16		

- 9. फर्म/कम्पनी का पैन, टिन नम्बर:
- 10. सेवाकर पंजीकरण सं0:
- 11. धरोहर राशि जमा ड्राफ़ट की संख्या / बैंक का नाम/तिथि :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सही है। साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैने/हमने निवविदा सूचना की शर्तो एवं निबंधनों को पढ़ एवं समझ लिया है।

मै/हम वचनद्ध है कि मैं/हम निविदा की सभी शर्तों एवं निबंधनों के लिए मेरी / हमारी बिना शर्त एवं स्वीकार्यता देता हूँ/ देते हैं । तथा इन शर्तों एवं निबंधनों के पालन के लिए सहमत हॅ/हैं ।

फर्म/कम्पनी का नाम एव हस्ताक्षर

फर्म /कम्पनी की मुहर

तिथि :

स्थान :

## अनुसूची 7 का अनुलग्नक – 3

पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों में सदृश प्रकृति के सेवाओं के विवरण

#### बोलीदाता का नाम:

वर्ष	सेवा प्रदान करने का	ग्राहक का नाम एवं	संविदा का मूल्य	टिप्पणियाँ
	प्रकार एवं नाम	पता		
2015-2016				
2014-2015				
2013-2014				

टिप्पणी : फर्म के सीए द्वारा कारोबार की रकम को प्रमाणित एवं लेखा परीक्षित किया जाना चाहिए तथा पृथक शीट संलग्न की जाए।

	बोलीदाता के हस्ताक्षर
स्थान :	बोलादाता का नाम एवं पता
दिनांक :	फर्म/कम्पनी की मृहर

## अनुसूची ७ का अनुलग्नक-४

## काली-सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणा

मै/हम एतद् इवारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म/एजेंसी को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के तहत किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के विभाग/राज्य सरकार या पीएसयू या अन्य निकायी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। मै/हम यह भी घोषणा करता हूँ/हैं कि भारत में कहीं पर भी फर्म/कम्पनी या इसके स्वामी/भागीदारों /निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है।

दनाक माह	2016
	बोलीदाता के हस्ताक्षर
	बोलादाता का नाम एवं पता
	फर्म/कम्पनी की महर

## **TENDER NOTICE**

## **FOR**

## HIRING OF SECURITY SERVICES

## BY

## BIS, NRO LABORATORY, MOHALI

Bureau of Indian Standards NRO Laboratory B-69, Phase VII, Industrial Focal Point, MOHALI 160055

#### **TENDER NOTICE**

Bureau of Indian Standards, Northern Regional Office, Chandigarh invites sealed bids, under two bid systems (*Technical bid and Financial bid*) for **Hiring of Security Services** from eligible bidders.

- 2. The blank Tender document is available from **27-09-2016 to 19-10-2016** during the office hours. The Tender document can also be downloaded from www.bis.org.in & www.eprocure.gov.in
- 3. The bid can be submitted in the manner indicated in the tender document on or before **19-10-2016 upto 1400 hrs**. The Bureau reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reason.

Deputy Director (A&F)
Bureau of Indian Standards
Northen Regional Office
0172- 2650229

#### **TENDER DOCUMENT**

#### **SCHEDULE - 1: INSTRUCTIONS TO BIDDERS**

#### 1. Notice inviting Bids:

1.1 Sealed Bids, under two bid system (*Technical bid and Financial bid*), are invited by the Bureau of Indian Standards (BIS), from eligible Bidders for Hiring of Security Services as specified in the **Schedule-3** of tender document.

#### 2. Issue of Tender Document:

- 2.1 The blank Tender document will be available during the period indicated in the **Schedule-4**, during the office hours.
- 2.2 The Tender document can also be downloaded from the website of the Bureau (<a href="www.bis.org.in">www.bis.org.in</a>) & www.eprocure.gov.in
- 2.3 Any change that will be made in the Tender document by the Competent Authority after issue of the Tender will be in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.
- 2.4 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected.
- 2.5 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.
- **3. Language of Bid/Contract:** The language of the Bid shall be in English/Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English/Hindi language.

#### 4. Pre-bid Conference:

4.1 A Pre-bid conference of all intending Bidders will be held at the scheduled date and time indicated in the **Schedule-4**. Intended Bidders will be allowed to seek clarification, if any.

#### 5. Validity of Bids:

5.1 The Bids will be valid for a period of 90 days from the date of its opening.

#### 6. Earnest Money/ Bid Security:

- 6.1 The Bidder shall deposit with the Bureau a sum indicated in the **Schedule-4**, as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Bureau of Indian Standards, or a Bank Guarantee as per format indicated in **Annexure-1** of Schedule 7.
- 6.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the Bid and the Bureau shall exclude from its consideration such disqualified Bid(s).

- 6.3 Bidder shall not revoke his Bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the Bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it shall stand forfeited to the Bureau without prejudice to its other rights and remedies.
- 6.4 If the successful Bidder does not pay the Performance Security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, Earnest Money Deposit of the successful bidder will be forfeited by the Bureau.
- 6.5 The Earnest Money of unsuccessful Bidder shall be refunded after the successful Bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the contract or within thirty (30) days of the expiry of validity period of Bids, whichever is earlier.

#### 7. Eligible Bidders

- a) Should have valid licence issued under the provision of Contract Labour (Regulations and Abolition) Act, 1970 and the rules framed there under to provide the Security Services in Mohali (attested copy has to be attached).
- b) Should have minimum **three years** of experience of providing security services to large private firms and/or Departments/Ministries of the Government of India/PSUs (copies of two work orders received from large private firms and/or Govt. deptts./PSUs during each of the last three years should be enclosed).
- c) Should have a valid PAN issued by the Income tax Department, also registered with Employees Provident Fund Organisation, and Employees State Insurance Corporation, Service Tax Department (attested copies has to be attached).
- d) Should have minimum turnover of **Rs. 20 LAKHS** per year during each of the last three years for providing security services (copies of annual accounts of the last three years should be enclosed).
- e) Should not have been blacklisted by the Deptts /Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format).

#### 8. Rates how to be quoted

- 8.1 The bidder is expected to work out his rates keeping in view the technical specifications & conditions and arrive at the amount to be quoted. The Bidder shall be deemed to have satisfied itself before Bidding as to the correctness and sufficiency of its Bid and of the rates and prices quoted in the attached schedules, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all its obligations under the contract and all matters and things necessary for proper fulfilling his obligations under the contract.
- 8.2 The Table-A of Schedule-5 containing the financial Bid shall be exclusive of any service tax, education cess and secondary and higher education cess or any other

applicable taxes. The taxes as may be levied by the Government from time to time shall be charged by the contractor in addition to the rates quoted in the bid by the contractor.

- 8.3 The quoted consolidated monthly amount prices shall be inclusive of all charges including B u r e a u 's contribution towards ESI, PF, Substitutes. It shall also include cost of training and uniform, Supervision of company etc. Total Consolidated monthly amount (including Minimum Wages, ESIC, EPF etc.) per person should be quoted by the bidder under each of the category separately.
- 8.4 The bidder should quote the monthly consolidated amount in the **Table-A** and its break-up in **Table-B** of Schedule-5.
- 8.5 Prices shall be valid for the period of contract. However, on revision of minimum wages by Government of India the same shall be revised by the Bureau. However, even on revision of minimum wages, the contractor's profit in absolute terms (not in percentage terms) shall remain the same throughout the contract period as was quoted by the contractor in his bid.

#### 9. Manner of Submission of Bid

- 9.1 The complete Bid will be received as indicated in the **Schedule-4**, by depositing the same through the Bid Box or by post which reaches the specified place before the specified time.
- 9.2 E-mail or fax offers will be rejected.

#### 10. Last Date for Submission

- 10.1 Sealed Bids shall be received at the address specified above not later than the time and date specified in the Tender Notice. Bids received after the specified date and time for receipt of bids shall not be considered. Hence, such bids shall be rejected and returned unopened to the Bidder.
- 10.2 In the event that the specified date for the submission of Bid offers is declared a holiday, the offers will be received up to the appointed time on the next working day.

#### 11. Modification and Withdrawal of Offer

11.1 The Bidder may withdraw its offer after its submission, provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.

#### 12. Contents of Bid Document

- 12.1 Bids are invited in two-bid system (Technical bid and financial bid). The completed Bid shall be submitted in sealed envelope, super-scribing "Tender for Hiring of Security Services for BIS, NRO Laboratory, Mohali" as mentioned in the **Schedule-4**.
- 12.2 The envelopes shall contain the following:
  - a) Envelope No.1 (Technical Bid): This should contain all technical details along with commercial terms and conditions such as:

- (i) List of all the documents enclosed;
- (ii) The EMD as indicated in clause 6.1 above.
- (iii) Attested copy of the valid licence issued under the provision of Contract Labour (Regulations and Abolition) Act, 1970 and the rules framed there under to provide the Security Services in Mohali.
- (iv) Copies of last Income Tax Returns and Service Tax Returns filed with the concerned Authorities;
- (v) Details of the firm(s) including details of the proprietor/partner/director with regard to name, address for communication, telephone number, e-mail etc. (Annexure-2 of Schedule 7);
- (vi) In case of a firm, each partner or power of attorney holder shall sign the Bid. The attested copies of power of attorney of person signing the Bid shall be enclosed with the Bid. The power of attorney shall be signed by all partners. In case of private limited/public limited companies, the power of attorney shall be supported by board resolutions and appropriate and adequate evidence in support of the same shall be provided;
- (vii)All pages and pasted slips should be signed by the Bidder and no page shall be added or removed from the set of Bid Document. Duly signed Bid document is to be returned as a token of its acceptance;
- (viii)A statement showing the magnitude of Work/Service done in the last three (3) years (Annexure-3 of Schedule 7);
- (ix) A declaration regarding black-listing and/ or litigations (Annexure-4 of Schedule 7)
- b) Envelope No.2 (Financial Bid): This envelope shall only contain category-wise price for the services to be hired at specified places as per **Schedule-3**, duly filled in and initialled on each page and signed by the Bidder at prescribed places of the Bid. The instructions contained in clause 8 may please be noted.
- c) Covering Envelope: Both the sealed envelopes 1 and 2 shall be put together in a common sealed envelope super-scribing the "Bid for Hiring of Security Services" and addressed to Deputy Director (A & F) as mentioned in Schedule-4 and the name and address of the Bidder at the bottom left.

#### 13. Other Important Points to be noted by the Bidder

- (a) The Financial Bid should be written both in words and figures at appropriate places (Schedule 5).
- (b) The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid in Tender document, failing which the Bid shall be liable to be rejected. Conditional Bids will be rejected.

#### 14. Opening of Bid

14.1 The Bid received before the time and date specified in Tender Notice, will be opened as per the specified program in the office as mentioned in the **Schedule-4** (if possible), in the presence of Bidders or their authorized representatives who choose to remain present on the opening day, at the scheduled time.

#### 15. Shortlisting of Bidders

15.1 The Bureau will short-list technically qualifying Bidders and Financial Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened at a date and time to be intimated.

#### 16. Opening of Financial Bids

16.1 The Bureau shall open Envelope No.2, on notified date, and the rates quoted by the bidder in price schedule (**Table-A & Table-B of Schedule-5**) shall then be read out.

#### 17. Acceptance of Bid

17.1 Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the Bureau. The Bureau is not bound to accept the lowest or any Bid. The Bureau reserves the right to reject any or all Bids received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the Bureau.

#### 18. Process to be Confidential

18.1 Information relating to the examination, evaluation and comparison of Bids and the award of a Contract shall not be disclosed to Bidders or any other person not officially concerned with such process until the award to the successful Bidder has been announced.

#### 19. Execution of Contract Document

- 19.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security is required to execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value. The proper value at present is Rs. 100/-. The Agreement should be signed within 15 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Conditions of the Contract (CoC) and other documents as specified in the CoC.
- 19.2 It shall be incumbent on the successful Bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the Agreement, as applicable on the date of the execution.

#### 20. Rights of the Bureau

20.1 The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of work put to this Bid. The right to split up the hiring of security services in two or more parts is reserved by the Bureau and also the right to award contract to more than one agency is reserved.

20.2 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in Tender Document or the conditions of the Contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

#### 21. Notice to form Part of Contract

21.1 Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

#### SCHEDULE - 2: CONDITIONS OF CONTRACT

#### 1. Definitions:

- i) **'Annexure'** referred to in these conditions shall means the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.
- ii) **'Approved'** shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and "Approval" shall mean approval in writing including as aforesaid.
- 'Bid' means the Contractor's priced offer to the Bureau for the security services to be provided at the specified places and remedying of any defects therein in accordance with the provision of the Contract, and services as accepted by the Letter of Acceptance.
- iv) **'Bureau'** shall mean Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- v) **'Commencement Date'** means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the rendering of services at specified places.
- vi) **'Competent Authority'** shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- vii) 'Contract' shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- viii) **'Contract Amount'** shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
- 'Contractor' shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.
- x) **'Director General'** shall mean the Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- xi) 'Government' shall mean the Central Government.
- xii) 'Letter of Acceptance' means the formal acceptance by the Bureau.
- xiii) **'Services'** shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract and other services that are prescribed in the Tender document.

- viv) **'Specification'** means the specification referred to in the tender. In case where no particular specification is given, the relevant specification of the Bureau, where one exists, shall apply.
- vv) **'Tender'** means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer fixed price for hiring of security services.
- xvi) **'Time for Completion'** means the time for completing the contract period as stated in the Contract calculated from the Commencement Date.

#### 2. Parties to the Contract:

The parties to the contract shall be the Contractor, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.

The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

## 3. Performance Security

- 3.1 To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, as defined in Schedule 4 shall have to be deposited by the contractor in the form of an Account payee Demand Draft in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at 'Chandigarh' or a Bank Guarantee as per format indicated in **Annexure-1 of Schedule 7**.
- 3.2 Performance Security will remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor.
- 3.3 Any amount due/recoverable from the Contractor under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Performance Security Deposit. In case, the amount of Performance Security Deposit is reduced by reason of any such deduction, the Contractor shall, within fifteen (15) days of receipt of notice of demand from the Bureau, make good the deficit. In case, security is deposited by way of bank guarantee by the Contractor, then any penalty for damages liquidated or unliquidated or for any breach or failure or determination of Contract, not previously paid to the Bureau, shall immediately on demand be paid by the said bankers to Bureau under and in terms of the said quarantee.
- 3.4 If during the term of this Contract, the Contractor is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the Contractor, the Bureau shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.

- 3.5 Nothing herein mentioned shall debar the Bureau from recovering from Contractor by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.
- 3.6 The Performance Security shall be retained until all disputes, if any, between both the parties have been settled to the entire satisfaction of the Bureau. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the Bureau within sixty days following the Completion Date or Termination Date of this Contract provided that there are no outstanding claims of the Bureau on the Contractor.

#### 4. Contract Documents:

- 4.1 The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:
  - i) The Agreement
  - ii) Minutes of pre-bid meetings, clarifications
  - iii) The Conditions of Contract
  - iv) Tender Notice and Tender Document
  - v) Letter of Acceptance.
  - vi) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
  - vii) The Contractor's Offer

#### 5. Validity of the Contract

5.1 The Contract shall be valid for a period of one year from the date of signing this Contract, which may be extended upto further 2 years on the basis of yearly satisfactory performance of the contractor and on the mutual consent of both the parties.

#### 6. Contractor's Obligation

- 6.1 The Contractor shall provide Security services at Bureau's premises as per Schedule-3, which may be amended from time to time by the Bureau during the Contractual period and it shall always form part and parcel of the Contract. The Contractor shall abide by such assignments as provided by the Bureau from time to time.
- 6.2 The Contractor shall provide Security services through its uniformed and trained personnel for the performance of its services hereunder and these personnel of the Contractor only and the Bureau shall not in any manner be liable and all statutory liabilities (such as ESI & EPF etc.) as shall be paid by the contractor.

- 6.3 The Contractor shall submit to Bureau the details of amount deposited on account of EPF and ESI in respect of the deployed personnel to the concerned authorities from time to time.
- 6.4 The wages/salary of the personnel deployed by the contractor for security services in BIS shall be made credited directly in the Bank Account of the individual. The contractor shall submit a proof of the same to the Bureau.
- 6.5 The Contractor shall produce to the Bureau the details of payment of statutory benefits like bonus, leave, relief etc. from time to time to its personnel.
- 6.6 The Bureau shall have the right, within reason, to have any personnel removed who is considered to be undesirable or otherwise and similarly the Contractor reserves the right to remove any personnel with prior intimation to the Bureau, emergencies, exempted.
- 6.7 The contractor shall cover its personnel for personal accident and death whilst performing the duty and the Bureau shall own no liability and obligation in this regard.
- 6.8 The Contractor shall exercise adequate supervision to ensure performance of Manpower services in accordance with Schedule 3.
- 6.9 The Contractor shall issue identity cards/identification documents to all its personnel who will be instructed by the Contractor to display the same.
- 6.10 The personnel of the Contractor shall not be the personnel of the Bureau and they shall not claim and salary or allowances, compensation, damages or anything arising out their deployment/duty under this contract. The Contractor shall make them known about this position in writing before deployment under this agreement.

#### 6.11 Other Benefits to be given to the staff deployed for security services in BIS

- a) The Contractor shall also provide at this own cost all benefits statutory or otherwise to its personnel and the Bureau shall not have any liability whatsoever on this account. The Contractor shall also abide by and comply with the Labour Laws, Workmen Compensation Act, EPF Laws, ESIC Laws, Income tax and Minimum Wages Laws, Contractor Labour (Regulations Abolition Act) or any other law in force.
- b) The Contractor shall provide minimum of two sets each of summer and winter uniform to its personnel at its own cost.

#### 6.12 Other Matters

- a) The Contractor shall submit to Bureau a copy of wages sheet showing monthly wages paid to its personnel.
- b) Adequate supervision shall be provided to ensure correct performance of the services in accordance with the prevailing requirements agreed upon between the two parties.

- c) All necessary reports and other information shall be supplied immediately as required and regular meetings will be held with the Bureau.
- d) The Contractor shall not deploy any person below the age of 18 years and beyond 45 years old. Manpower engaged for the purpose shall be pre-trained in requisite field.

#### 7. Payments Terms

- 7.1 The payment towards the services will be made by the Bureau directly to the Contractor on receipt of bill on completion of month. The rates quoted shall be exclusive of any service tax or any other applicable taxes as may be levied by the Government from time to time and the same shall be charged in addition to the applicable.
- 7.2 Bills for services provided under this contract shall be prepared in duplicate by the Contractor immediately after the completion of month and accepted by the Bureau. The payment of bills and other claims arising out of the contract will be made credited directly in Bank Account of the Contractor. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.
- 7.3 The Bureau reserves the rights to retain and set off against any sum which may be from time to time due to the Contractor under any claim, which the Bureau may have under this or any other Contract/Agreement.
- 7.4 The payment shall be made by the following formula with relevant changes as per above. The contractor shall also pay to his personnel by this formula. This formula takes care of all the paid weekly holidays, national holidays and other gazetted holidays:

**Formula:** Wages payable to individual = [Total Monthly Wages as above /No. of working days in the month] \* No. of days worked in the particular month by the individual.

#### 8. Imposition of fines / penalty

- 8.1 The Contractor shall disburse wages to its deployed manpower, if any; latest by 7<sup>th</sup> of every month, failing which penalty of Rs.1000/- per day or as decided by the CA shall be imposed which shall be binding to the Contractor.
- Whenever and wherever it is found that the assigned work is not performed upto the entire satisfaction of the Bureau, especially under the supervision of the Contractor's Head Supervisor, it will be brought to the notice of Contractor by the Bureau and if no action is taken immediately, penalty of Rs.1,000/- per day per complaint will be imposed by invoking penalty clause.
- 8.3 In case the Contractor fails to fulfil the minimum statutory requirements (ESIC/EPF) as per the conditions of the tender document and fails to produce the concerned documents, it shall be treated as breach of the Contract and the Contractor is liable to be blacklisted by the Bureau, in addition to forfeiting of the Performance Security.

8.4 In case of breach of any conditions of the contract and for all types of losses caused including excess cost due to hiring manpower services in the event of Contractor failing to provide requisitioned number of manpower, the Bureau shall make deductions at double the rate of hiring rate on prorata basis from the bills preferred by the Vendor or that may become due to the Vendor under this or any other contract or from the performance security or may be demanded from him to be paid within seven days to the credit of the Bureau.

## 9. Indemnity:

- 9.1 The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.
- 9.2 The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights and labour issues etc. or such other statutory infringements.

#### 10. Suspension of Contract

- 10.1 The Bureau shall be at liberty at any time to suspend temporarily this Contract on giving 24 hours notice in writing the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for poor quality of the Goods, insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.
- 10.2 An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfil its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:
  - (a) In the opinion of the Bureau, the Contractor has repudiated the Contract,
  - (b) Without reasonable excuse has failed to commence supply of Services in accordance with this Contract, or failed to complete the provide Services within the time stipulated for completion:
  - (c) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
  - (d) Serious discrepancy in the quality of the services is noticed during the inspection.
  - (e) If the Contractor is in breach of any law or statute governing the supply of Services:
  - (f) The Contractor, in the judgement of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
  - (g) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
  - (h) The Contractor becomes insolvent;

- (i) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;
- (j) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events;
- (k) The Contractor (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the Bureau.

# 11. Termination by the Bureau

11.1 It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement within the contract period at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor 15 days notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

# 12. Contractor's right to terminate

12.1 If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 60 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 60 days, then the entire security deposit will be forfeited.

#### 13. Force Majeure Clause:

13.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Competent Authority of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by the Competent Authority of the Bureau, which shall be final, all unused, undamaged and accepted material, bought out components and stores in course of manufacture in the possession of the contractor at the time of such termination or such portion thereof as the Bureau may deem fit excepting such materials, bought out components and stores as the contractor may with the concurrence of the Bureau elect to retain.

# 14. Corrupt or Fraudulent Practices

- 14.1 The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:
  - (a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the hiring process or in contract execution; and
  - (b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a hiring process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.
- 14.2 The Bureau shall reject a proposal for award, if it determines that the Bidder recommended for award has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for the Contract in question; The Bureau shall deem a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract if it at anytime determines that the firm has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing, a contract.

#### 15. Confidentiality

15.1 The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while delivering services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

#### 16. Publicity

16.1 Any publicity by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

#### 17. Disputes & Arbitration

- 17.1 The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract.
- 17.2 If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Authorized Officer indicated in Schedule-4. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

#### 18. Mode of serving Notice

- 18.1 Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
- 18.2 All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

#### 19. Governing language

19.1 Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English/Hindi only.

#### 20. Law:

20.1 The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

#### 21. Legal Jurisdiction

21.1 No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Chandigarh only.

#### 22. Stamp duty:

22.1 The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

#### SCHEDULE - 3: SCHEDULE OF REQUIREMENTS

1. Services to be hired under this Contract: Security Services at
Bureau of Indian Standards
NRO Laboratory
B-69, Phase VII,
Industrial Focal Point,
MOHALI 160055

#### 2. Requirement of Manpower

Category	Eligibility	Tentative requirement of
		Manpower
Unskilled Manpower i) Security Guards	Must be passed 8 <sup>th</sup> standard and should be physically fit. Exserviceman will be given preference	05
Graduate i) Security Supervisor	Must be graduate and should be physically fit. Ex-serviceman will be given preference	01

2.1 The above mentioned requirement of manpower may increase or decrease during the period of contract.

# 2.2 **Security Services**

i) The Security services are required for maintaining Day and Night security in BIS, NRO Laboratory, Mohali . The security services shall be for all the days of the year round the clock in three shifts as follows:

a) First Shift - 0600h to 1400h

b) Second Shift - 1400h to 2200h

c) Third Shift - 2200h to 0600h

- ii) A Security Supervisor [Minimum Graduate] shall be the in-charge of the security system and shall be responsible for the efficient rendering of the services under the contract. This will however, not diminish in any way, the contractor's responsibility under the contract to the Bureau.
- iii) The Un-Skilled personnel of the Contractor are required to be deployed as Security Guard in three shifts of eight hours each for the security of man and material of the Bureau. The guards deployed shall attend the work as assigned in the Contract.
- iv) While providing services to the Bureau the Supervisor(s) and other personnel shall be responsible and answerable to the Bureau.
- v) Materials and equipments for providing security services to the Bureau by the Contractor shall be determined by the Bureau in consultation with the contractor from time to time.

- vi) The security supervisor will keep taking round of the building/premises and keep a watch and supervise the work of the deployed personnel.
- vii) Patrolling should be done on regular basis and it should be ensured that strict cleanliness is maintained.
- viii) If anything unusual/untoward is found, the Bureau shall be informed in writing.
- ix) The contractor's personnel providing various services to the Bureaus may be frisked at the time of their leaving the office premises after their duty as and when considered necessary.
- x) If anything untoward/unusual/suspicious is found, it must be reported to the Bureau immediately.
- xi) Security guards/Supervisor shall maintain parking inside and outside BIS office complex.
- xii) Security guards/Supervisor to be deployed by the contractor should have adequate knowledge of handling and operation of fire extinguishers and suitable fire incident response arrangement.

#### SCHEDULE - 4: SPECIFICATION & ALLIED TECHNICAL DETAILS

- 1. Proposed validity of the rate contract: One Year, which may be extended up to further two years, one year every time, on the basis of the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties.
- 2. **Availability of Tender Documents Place:**

Section Officer (Admn) **Northern Regional Office** Plot No. - 4-A. Sector 27-A Chandigarh - 160019

Website www.bis.org.in & www.eprocure.gov.in

Period: 27-09-2016 to 19-10-2016

- 3. Pre-bid Conference: 1500 hrs. on 07-10-2016 in the office of , Bureau of Indian Standards, Northern Regional Office, Chandigarh.
- 4. Method/manner for Submission of Bids: A sealed envelope super-scribing "Tender for Security Services at BIS, NRO Laboratory, Mohali" having two sealed envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Deputy Director (Admn. & Fin.), Bureau of Indian Standards, Plot No. - 4 -A, Sector 27-B, Chandigarh -160019". The bid shall reach in the office of Bureau of Indian Standards. in tender box by 1400 hrs. on 19-10-2016 (Wednesday).
- 5. Earnest Money Deposit: Rs. 35,000/-
- 6. Performance Security Deposit: Rs. 70,000/-
- 7. **Validity of Bids:** 90 days from opening of technical bid.
- 8. Opening of Bids: Technical Bids shall be opened at 1430 hrs. on 19-10-2016 (Wednesday) in the conference Hall, Bureau of Indian Standards. Date of opening of financial bid shall be decided after technical evaluation of the bid.
- 9. Authorized Officer on behalf of the Bureau for this tender/contract: Deputy Director (A &F) or any other Officer authorized by the CA of this Bureau.

# SCHEDULE – 5: FINANCIAL BID (To be submitted in Financial Bid envelope)

TABLE - 'A'

Deputy Director (A & F)
Bureau of Indian Standards,
Northern Regional Office,
Plot No 4, Sector 27- B
Chandigarh - 160019

Sir,

Date:

SI.	Category	Qty	Quoted Amount per head per month(as per Table 'B'	Total
1.	For providing services of Security Guards (Unskilled category	05	148.10	Rs
2.	For providing services of Security Supervisor (Minimum graduate)	01		Rs

Signature\_\_\_\_\_

Name:\_\_\_\_\_

Address:\_\_\_\_\_

# Schedule-5 (Continued) (To be submitted in Financial Bid envelope)

# TABLE-'B'

Head

Head	Category		
ITEM - A	Security Guards	Security Supervisor	
i) Basic Minimum Wages including VDA (As per State/UT Govt. minimum wages norms)			
ii) ESI			
iii) EPF			
Others, if any ITEM-B			
i)			
ii)			
iii)			
iv)			
v) Profit/Service Charges (of the Agency) per head per month			
(in terms of fixed amount and not in terms of %age)			
Total Cost per Head per month Item (A) + (B) *			
The total cost excluding the tax sount per head per month" in T	xes (ST, EC, SBC etc.) shallable 'A'.Schdule-5	appear in the column " quoted	
		Pignatura	
		Signature	
ite:	1	Name:	

Address:\_\_\_\_

# **SCHEDULE - 6: CONTRACT FORM**

## **AGREEMENT**

<ol><li>THIS AGREEMENT ma</li></ol>			
between M/s			
referred to as the CONTRACTOR		·	. •
the context or meaning thereof, b			
assigns) of the ONE PART and t			•
Regional Office, Plot No. – 4	-A, Sector 27-	B, Madhya Marg	, Chandigarh-
160019			
(hereinafter referred to as the BUREAL context or meaning thereof, be deemed OTHER PART.			
WHEREAS the Contractor is a service pr	ovider.		
AND WHEREAS the Bureau is a body c purchase on rate contract bas Limited / Single Tender enquiry dated	is, therefore, inv		
WHEREAS the Contractor (successful b with the bid document and was selected and negotiation on contract prices, awa Contractor on	as 'successful l	bidder' pursuant to	the bidding process
BOTH THE PARTIES HERETO agree to "Schedule-2 (Conditions of Contract) of Contract)			nentioned in :
(Signature of Contractor/	(Sig	nature of Authorized	Officer of the Bureau)
Authorized Representative)			
Name Designation	Nan Des	nesignations	<del></del>
Designation			
Address	Add	ress	
Seal of the Firm/Company	Sea	l of the Bureau	
Witness:	Wit	ness:	
(Signature)	(Sig	nature)	
Name of Witness	Nar	ne of Witness	
Address		lress	

# SCHEDULE - 7: OTHER STANDARD FORMS, IF ANY, TO BE UTILIZED BY THE BIDDERS.

1.	Annexure-1	FORM OF BANK GUARANTEE BOND
		(To be submitted by the bidder as Earnest Money and by successful bidder as performance security as applicable)
2.	Annexure-2	DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS
		(To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)
3.	Annexure-3	DETAILS OF THE SIMILAR TYPE OF SERVICES PROVIDED BY THE BIDDER DURING LAST 3 YEARS
		(To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)
4.	Annexure-4	DECLARATION REGARDING BLACK-LISTING AND/ OR LITIGATIONS
		(To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)

# Annexure -1 of Schedule 7

# FORM OF BANK GUARANTEE BOND

١.	having agreed to exempt
	having agreed to exempt (hereinafter called "the said Contractor(s)") from the demand under the terms and
	conditions of an Agreement dated
	made between
	and for (hereinafter called "the said Agreement
	of security deposit for the due fulfilment by the said Contractor (s) of the terms and
	conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for
	RsOnly
	We, (Rupees Only we, (hereinafter referred to as (indicate the name of the bank)  'the bank') at the request of (Contractor (s) do
	( indicate the name of the bank)
	the bank f at the request of [(contractor (s) do
	hereby undertake to pay the Bureau an amount not exceeding Rs.
	against any loss or demand caused to or
	suffered or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of any breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said
	Agreement.
>	We do hereby undertake to
	(indicate the name of the bank)
	pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on
	a demand from the Bureau of Indian Standards stating that the amount claimed is due
	by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Bureau
	by reason of breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions
	contained in the said Agreement or by reasons of the Contractor (s) failure to perform
	the said Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as
	regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our
	liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.
3	We, undertake to pay to the Bureau any money so demanded notwithstanding any
٠.	dispute or disputes raised by the Contractor (s) / Supplier (s) in any suit or proceeding
	pending before any Court or Tribunal relating thereto our liability under this present
	being absolute and unequivocal.
	bonig abootato ana anoquivocan
	The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability
	for payment there under and the Contractor (s) / Supplier (s) shall have no claim
	against us for making such payment.
4	We firstly a great that the Overantes havein
+.	We, further agree that the Guarantee herein
	(indicate the name of Bank)
	contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till
	all the dues of the Bureau under or by virtue of the said Agreement have been fully
	paid and its claims satisfied or discharged or till the authorized officer of the Bureau
	(Administration Section, BIS, NRO) certifies that the terms and conditions of the said
	Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor (s) and
	accordingly of the said Agreement have been fully and properly carried out by the

	said Contractor (s) and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before thewe shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
5.	We
7.	This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s).  We,
	Dated theday of20 For (indicate the name of bank)

#### Annexure-2 of Schedule 7

#### **DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS**

- 1. Name of the Firm/Company:
- 2. Class of Registration with validity date:
- 3. Registration No.:
- 4. Address for Communication:
- 5. Telephone No.:
- 6. E-mail:
- 7. Details of Proprietor/Partner/Director

Name	Address	Qualification and Experience

8. Annual Turnover of the Firm/Company during previous three Financial Years (Certified copies of audited Balance Sheet to be submitted):

Financial Year	Annual Turnover (Rs.)	Copies of audited Balance Sheet enclosed (Yes/No)
Previous Financial Year		
(Y-I) 2013-2014		
2nd Previous Financial		
Year (Y-2) 2014-2015		
3rd Previous Financial		
Year (Y-3) 2015-2016		

- 9. PAN, TIN Number of the Firm/Company:
- 10. Service Tax Registration No.:
- 11. EMD Draft Number/Date & Name of the Bank:

This is to certify that the above facts are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.

I/We give an undertaking and give our unconditional and unequivocal acceptance of all terms and conditions of the Tender and agree to abide by these terms and conditions.

Ν	ame	and	Signat	ture o	t the	Firm/	Company
---	-----	-----	--------	--------	-------	-------	---------

Seal of the Firm/Company

Dated:	
Place:	

# Annexure -3 of Schedule 7

# Details of the similar type of Services provided by the Bidder during Last 3 years

# Name of the Bidder:

Year	Name and Type of services provided	Name & Address of the Client	Value of Contract	Remarks
2015-2016				
2014-2015				
2013-2014				

**Note: -** The turnover amount should be certified and audited by CA of firm and separate sheet should be enclosed

	Signature of Bidder
	Name & Address of Bidder
Place:	Seal of the Firm/Company
Date:	

## Annexure-4 of Schedule 7

# **Declaration regarding black-listing and/ or litigations**

I/we hereby declare that our firm/agency is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/State Government or PSU or other bodies under the Central Government/State Government. I/we further declare that no criminal case is registered & pending against the firm/company, its owner/partners/directors and the persons who are going to be engaged in BIS anywhere in India.

Date the	day of	2016	
		Signature of Bidder	
		Name & Address of Bidder	_
		Seal of the Firm/Company	-